

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
जहानाबाद।
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, जहानाबाद।

पटना, दिनांक-19/9/17

विषय:- राज्य योजना अन्तर्गत नगर परिषद, जहानाबाद अन्तर्गत नगर सरकार भवन/प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य के पुनरीक्षित परिमाण विपत्र के अनुमोदन के संबंध में।
प्रसंग:- कार्यपालक अभियंता, डुडा, जहानाबाद का पत्रांक-187 दिनांक-09.09.2017
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा राज्य योजना अन्तर्गत नगर परिषद, जहानाबाद अन्तर्गत नगर सरकार भवन/प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य का पुनरीक्षित परिमाण विपत्र अनुमोदन हेतु समर्पित किया गया है। जाँचोपरान्त पुनरीक्षित परिमाण विपत्र की राशि निम्न है:-

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग (लाख में)	पूर्व प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि	पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि	पुनरीक्षित अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि
01.	राज्य योजना अन्तर्गत नगर परिषद, जहानाबाद अन्तर्गत नगर सरकार भवन/प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य।	311.29 लाख रू0 (विभागीय पत्रांक-53 दिनांक-15.09.2014)	297.12 लाख रू0 (पत्रांक-133 दि0-04.03.14)	335.772 लाख रू0 (पत्रांक-1123 दि0-06.09.17)	2,92,86,028 /-

अतः उक्त योजना के पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के आधार पर परिमाण विपत्र अनुमोदित कर अग्रतर कार्रवाई हेतु लौटायी जाती है। साथ ही कार्यपालक अभियंता, डुडा, जहानाबाद को निदेश दिया जाता है कि पुनरीक्षित अनुमोदित परिमाण विपत्र के आधार पर पूर्व में उक्त भवन के कार्य हेतु किये गये एकरारनामा के एकरारनामित मदों को वर्तमान अनुमोदित परिमाण विपत्र से घटाकर पूरक एकरारनामा कर कार्य सम्पादित करायें।

यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान परिमाण विपत्र के आधार पर अग्रधन की राशि संवेदक से प्राप्त कर ही पूरक एकरारनामा करेंगे।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 18-9-17

अधीक्षण अभियंता

बिहार शहरी विकास अभिकरण